(Authoritative English text of this Department Notification No. Home-B(B)14-2/94-Jails-II dated 12th August, 2010 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Home

No. Home-B(B)14-2/94-Jails-II Dated Shimla-2, the **12th August, 2010.**

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by Section 432 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Para 570 of H.P. Jail Manual, 2000, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to grant State Government Remission to the prisoners who have been convicted by the Courts of Civil and Criminal jurisdictions in the State of Himachal Pradesh and Special Courts, as specified below:-

Sr. No.	Categories of Prisoners	Scale of State Remission Granted
1.	2.	3.
1.	Prisoners including those sentenced for life imprisonment, who have been sentenced for more than 10 years.	Three Months
2.	Prisoners sentenced to imprisonment for more than 5 years and upto 10 years.	Two Months.
3.	Prisoners sentenced to imprisonment for more than 3 years and upto 5 years.	45 Days
4.	Prisoners sentenced to imprisonment for more than 1 year and upto 3 years.	30 Days.
5.	Prisoners sentenced to imprisonment for more than 3 months and upto 01 year.	15 Days.

Provided that the above remission under this order shall not be applicable to the following:-

1. Detenue of any class.

Contd.. Page-2/-

2. Persons convicted under Section 3,4,5,6 & 10 of the Official Secrets Act, 1923, Section 2 and 3 of the Criminal Law Amendment Act, 1961 and Sections 121 to 130 of the Indian Penal Code.
3. Persons imprisoned for failing to give security for keeping the peace or for their good behavior under Section 107/109 of the Criminal Procedure Code.
4. Prisoners under going imprisonment in default of payment of fine.
5. Prisoners undergoing imprisonment under the NDPS Act.
6. In cases involving misappropriation or destruction or damage to any property belonging to the State or Central Government.
7. Where the sentence of death has been commuted into imprisonment for life either under section 433 Cr.P.C. or under Article 72 or Article 161 of the Constitution of India.
8. Where an offence is committed under section 302 of the Indian Penal Code with an intent to collecting ransom or committing robbery or dacoity or kidnapping or abduction.
9. Where an offence is committed under section 302 or 304 IPC read with sections 376 to 376-D or 377 IPC.
10. Where an offence is committed under Section 302 or 304 IPC and the victim is a child under the age of 14 years.
11. Where the conviction is made under section 376 IPC and the rape has been committed on a minor girl.
12. Where the conviction is made under section 384 to 402 IPC.
13. Where an offence is committed under sections 4 or 5 of the Explosive Substances Act alongwith an offence under the Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 or the Prevention of Terrorism Act, 2002.
14. Where a convict has been categorized as habitual offender by the court.
15. Where an offence has been committed under the Prevention of Food Adulteration Act and the punishment is more than six months.
16. Where the conviction is under Section 498-A IPC.
17. Where the conviction is under Prevention of Corruption Act.

By order

Ajay Mittal
Principal Secretary (Home) to the
Government of Himachal Pradesh.

Contd... P-3/-

हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग

संख्या: गृह—बी(बी)14—2/94—जेल—।। तारीख शिमला—2, 12 अगस्त, 2010.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 और हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2000 के पैरा 570 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य में सिविल और दाण्डिक अधिकारिता वाले न्यायालयों तथा विशेष न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध कैदियों को निम्नलिखित यथा विनिर्दिष्ट राज्य सरकार का परिहार प्रदान करती है:—

क्रम संख्या	कैदियों की श्रेणी	मन्जूर किए गए परिहार का मापमान
1.	2.	3.
1.	आजीवन कारावास से दण्डादिष्ट कैदियों को सम्मिलित करते हुए, ऐसे कैदियों को, जिन्हे 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है।	तीन मास।
2.	पॉच वर्ष से अधिक और दस वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी।	दो मास।
3.	तीन वर्ष से अधिक और पॉच वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी।	पैंतालीस दिन।
4.	एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी।	तीस दिन।
5.	तीन मास से अधिक और एक वर्ष तक के कारावास से दण्डादिष्ट कैदी ।	पन्द्रह दिन।

परन्तु इस आदेश के अधीन उपरोक्त परिहार निम्नलिखित को लागू नही होगा:—

जारी पृष्ठ —2/— पर

1. किसी भी श्रेणी के नजरबन्द।
2. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 3,4,5,6 और 10, दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1961 की धारा 2 और 3 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 से 130 के अधीन सिद्धदोष व्यक्ति।
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/109 के अधीन परिशान्ति कायम रखने के लिए या सदाचार के लिए प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्ति।
4. जुर्माने के संदाय के व्यतिक्रम में कारावास भुगत रहे कैदी।
5. स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत कारावास भुगत रहे कैदी।
6. उन मामलों में जिनमें राज्य या केन्द्रीय सरकार की किसी सम्पति का दुर्विनियोग या नाश या नुकसान अन्तर्वलित हो।
7. जहॉ मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया हो चाहे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 के अधीन होगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के अन्तर्गत हो।
8. जहॉ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन कोई अपराध मुक्ति धन लेने या लूट या डकैती या व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हो।
9. जहॉ कोई अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 से 376–घ या 377 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 या 304 के अधीन किया गया है।
10. जहॉ कोई अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 या 304 के अधीन किया गया है और पीडित 14 वर्ष की आयु से कम का बालक है।
11. जहॉ दोषसिद्धि भारतीय दण्ड संहिता का धारा 376 के अधीन की गई है और बलात्कार अव्यस्क लडकी के साथ किया गया है।
12. जहॉ दोषसिद्धि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 384 से 402 के अधीन की गई है।
13. जहॉ आतंकवादी और विध्वसंकारी कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 या आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अधीन अपराध सहित कोई अपराध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 या 5 के अधीन किया गया हो।
14. जहॉ दोषसिद्ध को न्यायालय द्वारा अभ्यासिक अपराधी ठहराया गया है।

जारी पृष्ठ–3/– पर

15. जहाँ कोई अपराध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन किया गया है और दण्ड 6 मास से अधिक का है।

16. जहाँ दोषसिद्धि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498—क के अधीन की गई है।

17. जहाँ दोषसिद्धि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन की गई है।

आदेश द्वारा,

अजय मितल
प्रधान सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या : यथोपरि तारीख शिमला—2, 12 अगस्त, 2010

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू पृष्ठांकित है:—

1. महानिदेशक कारागार, हिमाचल प्रदेश शिमला—9, को उनके पत्र संख्याः 4—52/2001—जेलज— ।। दिनांक 27.07.2010 के सन्दर्भ में.
2. समस्त राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के महानिरीक्षक कारागार को।
3. समस्त अधीक्षक जेल/ उप अधीक्षक जेल, हिमाचल प्रदेश ।
4. पंजीयक, मुद्रण एवं लेखन, हिमाचल प्रदेश शिमला—5 को राजपत्र के प्रकाशन हेतू।
5. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव(विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला
6. गार्ड फाईल।

अवर सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार।